न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान .... ओमप्रकाश .... बनाम .... सुशीला बाई ....

किस्म मुकदमा .... धारा-223 .... अपील संख्या .... 2024/71 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... श्री रविन्द्र खण्डेलवाल .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट मो. साबिर / श्री ... खण्डेलवाल ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18.2.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17.3.25 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
17.3.25	अभिभाषक अपीलान्ट / रेस्पोडेन्ट उपस्थित (अंतिम अवसर) बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24.3.25 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
24.3.25	पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई। अपीलांटगण एवं उनके अभिभाषक को रूक–रूक कर तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 4 उपस्थित। शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली दिनांक 21.05.2024 से बहस हेतु जैरकार है। अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर बहस हेतु दिनांक 21.05.2024 से आज दिनांक तक इस न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

A.D.

न्यायालय भू–प्रबन्धक अधिकारी एवम पदेन राजस्व अधिकारी, कोटा राज0

अपील क्रमांक– /2022

श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एड. द्वारा दिनांक 27.5.22 को पेश किया गई, रीडर बाद जांच रजिस्टर में पेश करे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)

1–ओमप्रकाश आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति नाई

2–राधेश्याम आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति नाई

3–कमल किशोर आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति नाई

निवासीगण कवाई तहसील अटरू जिला बांरा राज0

–अपीलाण्टस

–बनाम–

1–श्रीमती सुशीला देवी पत्नी भूपेन्द्र कुमार जाति महाजन,

निवासी कवाई तहसील अटरू जिला बांरा राज0

2–कमला बाई पुत्री नन्दलाल जाति कुम्हार मृतक जर्ये कायम मुकामान

2/1–रघुवीर पुत्र कमला बाई निवासी श्रीनाथपुरम कोटा

2/2–रघुनाथ पुत्र कमला बाई निवासी मकबरा बाजार कोटा

2/3–रामेश्वर पुत्र कमला बाई निवासी पाटनपोल कोटा

2/4–गीता बाई पत्नी बद्रीलाल पुत्री कमला बाई निवासी इटावा जिला कोटा

2/5–निर्मला बाई पत्नी पुरूषोत्तम पुत्री कमला बाई निवासी ग्राम जोलपा तहसील सांगोद जिला कोटा

2/6–कौशल्या पत्नी गोपाल पुत्री कमला बाई निवासी ग्राम जोलपा तहसील सांगोद जिला कोटा

2/7–ज्योति पत्नी मुकेश पुत्री कमला बाई निवासी ग्राम धतुरिया तहसील अन्ता जिला बांरा राज0

क्रमशः–––2

3-राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बांरा

-रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बनाराजगी निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक-18-05-2017

न्यायालय उपखण्ड अटरू जिला बांरा राज0 प्रकरण संख्या-09

/2009, बउनवान श्रीमती सुशीला देवी बनाम कमला बाई व अन्य

मान्यवर,

अपीलाण्टस निम्नलिखित निवेदन करते है-

1- यह कि निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय, विधि एवम संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होनेसे निरस्त किये जानेयोग्य है।

2- यह कि निर्णय व डिक्री जैर अपील अधी0 न्यायालय द्वारा अपीलाण्टस की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई के एक तरफा रूप से पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत होनें से गलत व गैरकानूनी एवम निरस्त किये जाने योग्य है।

3- यह कि अधी0 न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भली भांति साबित था कि प्रतिवादी नम्बर-1 कमला बाई व प्रतिवादी नम्बर-2 बद्रीबाई की वाद के प्रस्तुति के पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है और उक्त वाद मृत्यु व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने से चलने योग्य नही है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति प्रतिवादी नम्बर-1 व 2 के विरूद्ध निणय व डिक्री जैर अपील पारित किया है। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रारम्भ से ही शून्य, निष्प्रभावी है, जिसके कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील गलत व गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

क्रमशः-----3